डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.nic.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 15 ● भोपाल ● 1-15 जनवरी, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

सहकारी बैंक कैशलेस व्यवस्था की चुनौती का सामना करें और उसे लोगों तक पहुंचाएँ - श्री सारंग

सहकारी बैंकों में बैंकर्स चेक, डी.डी., आर.टी.जी.एस. और ई.एफ.टी. पर नहीं लगेगा शुल्क

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने सहकारी बैंकों में कैशलेस व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी बैंकों में बैंकर्स चेक, डी.डी., आर.टी.जी.एस. और एन.ई.एफ.टी. पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कैशलेस व्यवस्था सहकारी बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है लेकिन मुश्किल नहीं है। हमारे साथ किसान और ग्रामीण भाई इसके लिए तैयार हैं। श्री सारंग सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में कैशलेस व्यवस्था पर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद देश ने कई मोर्चे पर बेहतर परिणाम हासिल किये है। काले धन पर रोक लगी है, आतंकवाद, नक्सलवाद रूका है और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि दस साल का विकास एक साल में होने के मुहाने पर है। उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें एक बड़े परिवर्तन के बाद आती हैं। वे आसान हों, उनका निदान हो, इस दिशा में भी हमें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों, सोसायटी से प्रदेश की एक बड़ी आबादी जुड़ी है। इसलिए हमारे सामने कैशलेस व्यवस्था को लागू करने की चुनौती है। इसके लिए अगर हमने लोगों की मानसिकता और सोच बदल दी तो हमारे लिए कैशलेस व्यवस्था स्थापित करना आसान होगा। हम जिन लोगों के बीच यह काम कर रहे है वह किसान हो या ग्रामीण वह इसके लिये पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कैशलेस प्रणाली की परंपरा हमारे यहाँ मोहन जोदड़ों, चाणक्य, मुगल और अंग्रेज राज के समय से हो रही है। हमें आज सिर्फ लोगों तक इस व्यवस्था को नए परिवर्तन और नए संदर्भ में ले जाना है।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी ने कहा कि सहकारी बैक कैशलेस व्यवस्था का जब मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन करें, तो इस पूरी तकनीक की समझ के साथ लोगों के संभावित प्रश्नों का उत्तर भी तैयार रखें ताकि लोगों को आसानी से समझा सकें।

आयुक्त सहकारिता श्री कवीन्द्र कियावत ने कार्यशाला के उद्देश्य और रूपरेखा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी तक सहकारी बैंकों की पहुँच है। कैशलेस व्यवस्था को अपनायेंगे तो हमें सकारात्मक परिवर्तन मिलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री एच.के. सोनी ने कहा कि सहकारी बैंक सबसे पहले उन व्यवहारों की पहचान करें, जो कैशलेस और कैश के जरिये किये जा रहे हैं। इसके बाद कैश वाले व्यवहारों को कैशलेस में बदलने की रणनीति बनायें और कामकाज में पारदर्शिता रखें।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री के.आर. राव ने कहा कि विमुद्रीकरण का निर्णय अर्थ-व्यवस्था को एक नई दिशा देने का प्रयास है। इस व्यवस्था को कैशलेस में परिवर्तित करने की चुनौती हमारे सामने है। इसके लिये हमें अपनी क्षमता और कौशल में वृद्धि करनी होगी। कार्यक्रम में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा, सेंट्रल बैंक के उप महाप्रबंधक और जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का समापन ● जन-सामान्य को जानकारी देने वन विभाग की नर्सरी में उगेंगी जड़ी-बूटियाँ

अगले वर्ष से वन मेले की अवधि बढ़ेगी

भोपाल। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का समापन करते हुए कहा कि लोगों की माँग को मद्देनजर रखते हुए इसे अगले वर्ष से 7 दिवसीय करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा मेले में जिस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ रही है, उसे देखते हुए भविष्य में शायद इसे जम्बूरी मैदान में करना स्थानांतरित करना पड़ेगा। डॉ. शेजवार ने कहा जन-सामान्य और बच्चों में आयुर्वेद

तथा जड़ी-बूटी की जानकारी बढ़ाने के लिये वन विभाग की नर्सरियों में एक से डेढ़ एकड़ में 100-150 जड़ी-बूटी उगायी जाकर इनकी पहचान, इनसे बनने वाली दवा और संबंधित रोग के बारे में जानकारी दी जायेगी। कार्यक्रम में अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता संघ श्री रतन यादव और राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक मौजूद थे।

डॉ. शेजवार ने कहा कि विलुप्त होती जड़ी-बूटियों की प्रजाति को बचाने के लिये जैव-विविधता बोर्ड ग्राम-स्तर पर समितियाँ बनायेगा और वन विभाग वन-रक्षक और वन समिति सदस्यों को प्रशिक्षित करेगा। मेले के माध्यम से रोगी, जड़ी-बूटी संग्राहक, दवा निर्माता-विक्रेता और अनुभवी वैद्यों को एक साझा मंच मिलता है, जिसका उन्हें सालभर इंतजार रहता है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

2017
नव वर्ष की शुभकामनाएँ
सहकारिता परिवार
बहुरंगी कैलेण्डर पृष्ठ 8 पर देखें

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा परिसमापन पर संभागीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम

उज्जैन

सहकारी संस्थाओं के परिसमापन से संबंधित विधि एवं प्रक्रिया विषय पर सहकारिता विभाग जिला उज्जैन, शाजापुर, आगर, देवास के अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 21.12.2016 को म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा किया गया। जिसमें परिसमापन से संबंधित कार्यो में तेजी ला सके ओर शीघ्र निपटारा हो सके। प्रशिक्षण क्रार्यक्रम का शुभारंभ श्री व्ही.पी. मारण, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अंकेक्षण अधिकारी आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में श्री आर.सी. घिया, संयुक्त आयुक्त महोदय, विशेष रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में प्रशिक्षणकर्ता श्री पी.डी. गांवशिन्दे, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र आगर एवं एवं श्री दिलीप मरमट,व्याख्याता द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में संयुक्त आयुक्त श्री व्ही.पी. मारण एवं श्री आर.सी. घिया ने कठिनाईयों का निराकरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री दिलीप मरमट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उज्जैन के उपायुक्त डा. मनोज जायसवाल एवं जिला सहकारी संघ प्रबंधक श्री बैरागी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम जिला सहकारी बैंक के सभागृह में किया गया।

होशंगाबाद

संभाग नर्मदापुरम में स्थित परिसमापित सहकारी समितियों में की जाने वाली प्रक्रिया एवं कार्यवाही तथा सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन प्रक्रिया पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 22.12.2016 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला होशंगाबाद, बैतूलएवं हरदा के उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप अंकेक्षक सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण के दौरान म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के व्याख्याता श्री ए.के. जोशी, प्रशिक्षक श्री के.के. मालवी द्वारा परिसमापक प्रक्रिया एवं कार्यवाही पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही द्वितीय सत्र में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण भोपाल द्वारा सहकारी संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रशिक्षण, संयुक्त आयुक्त श्रीमति रविकान्ता दुबे एवं उपायुक्त श्री उमेश तिवारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संभाग के संयुक्त आयुक्त श्री पी.के. सिद्धार्थ एवं उपायुक्त श्री घनश्याम डेहरिया द्वारा उक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं वर्तमान परिस्थिति में प्रशिक्षण के माध्यम से अद्यतन जानकारी प्राप्त होने पर अपने विचार व्यक्त किये। प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु जिला सहकारी संघ होशंगाबाद के प्रबंधक श्री एस.के. उपाध्याय द्वारा उपस्थित रहकर सहयोग दिया एवं आभार व्यक्त किया।

मंदसौर

सहकारी संस्थाओं के परिसमापन से संबंधित विधि एवं प्रक्रिया विषय पर सहकारिता विभाग जिला मंदसौर, नीमच, रतलाम के अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 22.12.2016 को सहकारी बैंक मंदसौर के सभागृह में म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री बी.एस. चौहान, उपायुक्त सहकारिता द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप अंकेक्षक आदि सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में प्रशिक्षण अधिकारी श्री पी.डी. गावशिन्दे, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, आगर–मालवा एवं श्री दिलीप मरमट व्याख्याता द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के मुख्य विषय परिसमापन की कार्यवाही परिसमापन की आवश्यकता क्यों? कारण परिसमापक के कार्य सम्पत्ति एवं दायित्वों का निपटारा, शेष रही संपत्तियों का वहन आदि विषयों पर विस्तृत जानकारियां दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उज्जैन संभाग के संयुक्त आयुक्त श्री व्ही.पी. मारण एवं संयुक्त आयुक्त श्री आर.सी. घिया ने भी उपस्थित रहकर जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की समस्याओं का समाधान किया गया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर श्री तुलसीराम तिवारी को भावभीनी बिदाई

जबलपुर। किसी कर्मचारी के लिये यह गौरव की बात होती है कि उसका सेवाकाल निष्कलंक सफलता पूर्वक व्यतीत हो। तुलसीराम तिवारी जैसे कर्मचारी के साथ यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। ये विचार म.प्र. राज्य सहकारी संघ के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिवक्ता श्री शिवदयाल राव ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र में व्यक्त किये। केन्द्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री तुलसीराम तिवारी की सेवा निवृत्ति के अवसर पर केन्द्र के पूर्व प्राचार्य श्री एम.एल. अग्रवाल ने कहा कि श्री तिवारी के सक्रिय कार्यालयीन जीवन ने केन्द्र की गतिविधियों को प्रभावित किया है।

पूर्व प्रशिक्षक श्री एच.एल. कनोजिया ने भी विचार व्यक्त किये।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर श्री तुलसीराम तिवारी को सेवा सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन केन्द्र के व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे ने किया व अन्त में आभार प्रदर्शन श्री शशिकान्त चतुर्वेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राज्य सहकारी संघ के विभिन्न सेवानिवृत्त कर्मचारीगण विशेष रूप से उपस्थित थे।

हर गरीब को आवास के लिये जमीन उपलब्ध करवाने कानून बनेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भिण्ड जिले के फूप नगर में अंत्योदय मेले में 40 हजार से अधिक हितग्राही को 36.55 करोड़ के वितरित किये हित-लाभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की धरती पर जन्म लेने वाले हर गरीब व्यक्ति को जमीन उपलब्ध करवाने के लिये कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि आवास बनाने के लिये भी सरकार मदद करेगी। श्री चौहान भिण्ड जिले के फूप नगर में अंत्योदय मेला और सेतु शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के लिये एक लाख 20 हजार रुपये हितग्राही को दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायत क्षेत्र में परिवार के पास शौचालय नहीं है, उन्हें 12 हजार की राशि उपलब्ध करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये गणवेश, साइकल और 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर लेपटॉप दिये जा रहे हैं। महाविद्यालयीन छात्रों को स्मार्ट-फोन दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी और आईआईएम कॉलेज में गरीब परिवार का बच्चा भी पढ़ सके, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी।

नगर उदय अभियान का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगर उदय अभियान की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि यह अभियान नागरिकों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनायेगा और इसका विस्तार होगा। श्री चौहान ने मेले में हर घर में शौचालय बनाने, बेटा-बेटियों में भेदभाव नहीं करने, हर बेटी को स्कूल भेजने, गाँव को नशामुक्त बनाने और एक पौधा जरूर लगाने का संकल्प उपस्थित जन-समुदाय को दिलवाया। उन्होंने मेले में आये दिव्यांगों से उनके केम्प में जाकर मुलाकात की और मिल रही सुविधाओं की जानकारी दी।

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि आम लोगों की भलाई के लिये केन्द्र और राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि चम्बल नदी पर पुल बनने से इस क्षेत्र में आवागमन सुविधाजनक होगा। इसके लिये उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हर परिवार के यहाँ शौचालय बनाने के लिये हितग्राही के खाते में सीधे राशि पहुँचायी जा रही है। कार्यक्रम को सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मेले में जिले के विकास के लिये कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी कीं। उन्होंने 24 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया। नगर परिषद फूप में 8करोड़ की लागत से नल-जल योजना। उन्होंने 30 बिस्तरीय अस्पताल की सुविधा मुहैया करवाने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मेले में विधवा, निशक्त, वृद्धावस्था, कन्या अभिभावक पेंशन योजना, दिव्यांग उपकरण, साइकिल वितरण, निरामय बीमा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, श्रम कल्याण योजनाएँ, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आवास मिशन, सामाजिक स्वच्छ भारत मिशन योजना, भू-धारक प्रमाण-पत्र, बीपीएल कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, लाड़ली लक्ष्मी आदि योजनाओं के 40 हजार 736 हितग्राही को 36 करोड़ 55 लाख के हित-लाभ वितरित किये।

किसान सक्षम होगा तभी देश मजबूत बनेगा

राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जब तक किसान सक्षम नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। श्री सारंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एग्री स्टार्ट-अप के दो-दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि आजादी के 70 साल में गाँव, किसानों, खेत और खलिहानों को देखते हुए जो सुनियोजित विकास किया जाना था, वह नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण के साथ अगर हम देश के 80 फीसदी हिस्से पर ध्यान देते और उस पर आधारित अपनी अर्थ-व्यवस्था को खड़ा करते, तो हमारे देश की तस्वीर ही कुछ और होती। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता हावी होने के कारण हम अपनी भारतीय संस्कृति पर आधारित विकास पर ध्यान नहीं दे पाये। श्री सारंग ने कहा कि अब निजाम में परिवर्तन हुआ है तो काम के तरीके भी बदले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों का लक्ष्य है कि गाँव, गरीब और किसान आर्थिक रूप से सबल बने। इस दिशा में पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री श्री चौहान लगातार प्रयास कर रहे थे और पिछले ढाई वर्ष से केन्द्र सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सन् 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प इसी दिशा में ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने और उत्पादन में वृद्धि के लिये सबसे ज्यादा जरूरी था कि हम नदी जोड़ो योजना को शुरू से लागू करते, तो भारत की कृषि की दशा ही कुछ ओर होती। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना को शुरू किया और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षिप्रा-नर्मदा लिंक परियोजना के जरिये इसे पूरा किया।

श्री सारंग ने कहा कि आज यह जरूरी है कि हम कृषि आधारित उद्योगों के लिये किसानों में जागरूकता लायें। विशेषकर नई पीढ़ी को इससे जोड़ें। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन दो-दिवसीय विचार-विमर्श के बाद इस दिशा में परिणामोन्मुखी काम करेगा, तो यह सार्थक होगा।

फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एण्ड एग्री स्टार्ट-अप के श्री द्वारका सिंह ने बताया कि युवाओं को कृषि उद्योग से कैसे जोड़ें, इस उद्देश्य के साथ यह राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें देश के 12 राज्य के प्रतिनिधियों के साथ इण्डोनेशिया के भी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सात बैंक के भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को सीएट के निदेशक श्री जी.पी. प्रजापति ने भी संबोधित किया।

मध्यप्रदेश की चार आँगनवाड़ी कार्यकर्ता राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

केन्द्रीय महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने नई दिल्ली में किया पुरस्कृत

भोपाल। मध्यप्रदेश की चार आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को असाधारण कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार नई दिल्ली में केन्द्रीय महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने प्रदान किये। वर्ष 2014-15 के लिए श्रीमती विद्या सेन, जिला खंडवा से और श्रीमती भनुमति जोग्गी, जिला अनूपपुर पुरस्कृत हुई। वर्ष 2015-16के लिए श्रीमती अनीता सैम्युअल, जिला होशंगाबाद और श्रीमती काशीबाई विश्वकर्मा, जिला कटनी को आँगनवाड़ी क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्यो के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार के रूप में 25 हजार की सम्मान राशि तथा प्रमाण-पत्र दिये गये। महिला-बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज भी उपस्थित थीं।

अनूपपुर जिले की श्रीमती भानुमति जोग्गी ने आई.सी.डी.एस. की 6सेवाओं की सफल प्रदायगी के अलावा स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता प्रदान की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के साथ तालमेल रखा। खंडवा जिले की श्रीमती विद्या सेन ने आई.सी.डी.एस. की सेवाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता प्रदान की। कटनी की श्रीमती काशीबाई विश्वकर्मा ने भी आई.सी.डी.एस. सेवाओं के अलावा पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता प्रदान की और स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के साथ तालमेल कायम किया। इसी प्रकार होशंगाबाद जिले की श्रीमती अनीता सैम्युअल ने भी आई.सी.डी.एस. की छह सेवाओं के अतिरिक्त पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूक किया और स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के साथ तालमेल कायम किया।

राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तर पर आँगनवाड़ी कर्मियों को पुरस्कृत करने की योजना केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में तैयार की गयी थी। उसी समय से हर वर्ष ये पुरस्कार आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किये जाते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रेल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है। इसे आरटीई (Right to Education act) के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चो को अपने नजदीकी सरकारी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम द्वारा गरीब परिवार के बच्चो के लिये निजी विद्यालय में 25 प्रतिशत स्थान का आरक्षण कर मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी रखा गया है। इस अधिनियम अंर्तगत स्कूल फीस, यूनिफार्म, बुक, ट्रांसपोर्टेशन तथा मीड-डे मील आदि को निःशुल्क रखा गया है। इसके अंर्तगत बच्चो को अनुतीर्ण नही किया जावेगा तथा उनके लिए बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य नही होगा। शिक्षा का माध्यम जहॉं तक हो सके बच्चो की मातृभाषा में होगा। यह अधिनियम प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति करने के लिये प्रावधान करता है तथा अनावश्यक गैर-शैक्षिक कार्यो के लिये अध्यापको की तैनाती का भी निषेध करता है। इसके द्वारा बच्चो को शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न, अध्यापको द्वारा निजी ट्यूशन तथा बिना मान्यता के स्कूल चलाने को निषिद्धकिया गया है। यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यो के अनुरूप पाठ्यक्रम के निर्धारण का प्रावधान करता है।

अधिनियम अंर्तगत कोई भी स्कूल बच्चो को प्रवेश देने से इंकार नही कर सकता है। हर 60 बच्चो को पढ़ाने के लिये न्यूनतम दो प्रशिक्षित अध्यापक होना अनिवार्य है। जिन स्कूलो में संसाधन उपलब्ध नही है उन्हे तीन साल के अंदर सुधारा जाएगा। साथ ही तीन किलोमीटर के क्षैत्र में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। यदि 6 से 14 वर्ष तक की आयु का कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित रह गया हो तो उसे उसकी आयु अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा ओर ऐसे बच्चो को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा दी जावेगी।

इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च का 55 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 45 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे मूल कर्त्तव्यो में भी शामिल किया गया है। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय व शिक्षक तथा माता-पिता या संरक्षक के दायित्व तय किये गये है तथा उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

सरकार द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने विषयक इस अधिनियम को पारित होने से प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की दिशा में तेजी आई है किन्तु इस अधिनियम को समुचित रूप से कियान्वित करने के लिये वांछित धनराशि की व्यवस्था करना तथा समयबद्ध तरीकों से उसके प्रावधानो को लागू करते हुए निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारो को सम्मिलित प्रयास करते रहना होंगे तभी यह अधिनियम सफल सिद्ध होगा।

शिरीष पुरोहित कम्प्यूटर प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर

उजाला योजना में बिकी 93 लाख से अधिक एलईडी

भोपाल। उजाला योजना को मध्यप्रदेश में भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। योजना में अब तक 93 लाख 70 हजार 688 एलईडी बल्ब का वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में 37 हजार 309 ट्यूबलाइट और 4,629 पंखे भी बाँटे जा चुके हैं।

उजाला योजना में प्रतिदिन 46 हजार 356 से ज्यादा एलईडी बल्ब वितरित किये जा रहे हैं। भोपाल क्षेत्र में अब तक 10 लाख 29 हजार 287 और ग्वालियर क्षेत्र में 3 लाख 88 हजार 166 एलईडी बल्ब बाँटे जा चुके हैं। एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखों के उपयोग के प्रति उपभोक्ताओं में काफी जागरूकता आयी है। बिजली के इन उपकरणों के प्रयोग से बिजली बिल की राशि भी काफी कम हो गयी है।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

किसान हितैषी योजनाओं के मामले में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे

किसान सम्मेलनों में राज्य मंत्रि-परिषद सदस्य

भोपाल। राज्य के विभिन्न जिलों में 10 दिसम्बर को एक साथ हुए किसान सम्मेलन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा दावों का वितरण किया गया। सम्मेलन में किसानों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी।

ग्वालियर- कृषि विश्व विद्यालय परिसर में हुए किसान सम्मेलन में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी योजनाओं के मामले में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। उन्होंने किसानों को 5 वर्ष में आय दोगुनी किये जाने के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम की जानकारी दी। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 492 किसान को 48लाख 85 हजार की राशि मुआवजे के तौर पर दी गई।

दमोह- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने किसान सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार ने किसान की आँख के आँसू पोंछने का काम किया है। उन्होंने बताया कि किसान हितैषी योजनाओं से मध्यप्रदेश को 4 वर्ष से लगातार **कृषि कर्मण** पुरस्कार मिल रहा है। जिले में 35 हजार 558किसान को 61 करोड़ 64 लाख रुपये की राशि बीमा मुआवजे के तौर पर दी जा रही है।

नीमच- जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि किसानों को परम्परागत फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को लेने की तरफ आगे आने की जरूरत है। मंत्री श्रीमती चिटनिस ने जिले के 75 हजार 481 किसान को कृषि बीमा योजना के 113 करोड़ 16लाख रुपये के दावा भुगतान की शुरूआत की। कार्यक्रमों को सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने भी संबोधित किया।

छिन्दवाड़ा- आँचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र में हुए किसान सम्मेलन को किसान-कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने संबोधित किया। उन्होंने किसानों से उन्नत कृषि तकनीक और जैविक खेती को अपनाने की सलाह दी। सम्मेलन में 35 हजार 920 किसान को 42 करोड़ 79 लाख रुपये के बीमा दावा प्रमाण-पत्र वितरित किये गये।

राजगढ़- खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधराजे सिंधिया किसान सम्मेलन में शामिल हुईं। उन्होंने किसानों को खेतों में रासायनिक खाद के कम इस्तेमाल की समझाईश दी। सम्मेलन में जिले के एक लाख 20 हजार 497 किसान को 240 करोड़ 90 लाख की बीमा मुआवजा राशि का वितरण किया गया।

शिवपुरी- किसान सम्मेलन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह शामिल हुए। श्री रुस्तम सिंह ने कहा कि जिले में उपलब्ध बाँधों और तालाब का सिंचाई के लिये भरपूर उपयोग किया जायेगा। जिले में 20 हजार 600 किसान को 44 करोड़ 32 लाख रुपये की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया। जिले में किसानों के लिये 3 करोड़ 68लाख रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में दिये गये थे।

डिण्डौरी- उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में हुए किसान सम्मेलन में खाद्य-नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे शामिल हुए। श्री धुर्वे ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये किसानों को पर्याप्त बिजली दी जा रही है। जिले में प्रभावित किसानों को एक करोड़ 76लाख रुपये की बीमा राशि मंजूर हुई है।

हरदा- मंडी प्रांगण में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य शामिल हुए। उन्होंने किसानों से फसल चक्र में आये बदलाव के मुताबिक संसाधनों का उपयोग कर खेती में ज्यादा मुनाफा कमाने की बात कही। जिले के 52 हजार किसान को 157 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया।

श्योपुर- किसान सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिये राज्य सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है। जिले में आपदा प्रभावित 645 किसान को फसल नुकसान के लिये 77 लाख 55 हजार रुपये की बीमा राशि का वितरण किया गया।

बुरहानपुर- किसान सम्मेलन का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों को दी। सम्मेलन में किसानों ने मुख्यमंत्री के संदेश को भी सुना। इस मौके पर किसान-कल्याण की योजना पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई।

देवास- संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा मंडी प्रांगण में हुए किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने किसानों को राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिले में एक लाख 58 हजार किसान को 434 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। संस्कृति मंत्री ने इस मौके पर करीब 2 करोड़ की लागत से तैयार अनुसूचित जाति प्री-मेट्रिक छात्रावास भवन का लोकार्पण भी किया।

गरीबों को रोशनी देने की समाधान योजना पुनः लागू

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में पुनः समाधान योजना लागू की गई है। योजना का लाभ कंपनी कार्यक्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले और शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में निवास करने वाले निम्न-दाब घरेलू उपभोक्ता उठा सकेंगे। योजना का उद्देश्य बिजली कनेक्शन से विच्छेदित आर्थिक स्थिति से कमजोर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को बिजली उपलब्ध करवाना है। योजना में आवेदन 31 जनवरी 2017 तक आवेदन दिये जा सकेंगे।

योजना से लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को दो श्रेणी में बाँटा गया है। प्रथम श्रेणी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी-झोपडी बस्तियों में निवास करने वाले निम्न दाब घरेलू उपभोक्ता एवं द्वितीय श्रेणी में अन्य घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन तिथि 15 जनवरी नियत

भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम आधारित फसल बीमा में पंजीयन करवाने की अंतिम तिथि 15 जनवरी नियत की गई है। सब्जी वर्गीय फसलो का रबी मौसम के लिए टमाटर, बैंगन, फूलगोभी एवं पत्तागोभी, प्याज, लहसुन, धनिया, आलू, हरीमटर, अनार, आम आदि फसले अधिसूचित है। ऋणी एवं अऋणी कृषक बंधुओ को उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने हेतु अपने निकटतम जिला सहकारी बैंक समिति एवं अन्य बैंक शाखाओ से सम्पर्क कर फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा करें। अधिक जानकारी के लिए श्री शक्तीश्वर तिवारी सहायक प्रबंधक एचडीएफसी भोपाल मोबाईल नम्बर 9179622125 पर प्राप्त की जा सकती है

आसान है ''ई-बटुआ'' से भुगतान करना

भोपाल। सरकार द्वारा कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिये ई-बटुआ के जरिए आसानी से भुगतान किया जा सकता है। ई-बटुआ का उपयोग प्रारंभ करने के लिये बैंक खाता, स्मार्ट फोन, 2जी-3जी कनेक्शन और एक फ्री वोलेट एप की जरूरत होती है। कम्प्यूटर या स्मार्ट फोन के जरिए ऑनलाईन सामान खरीदने के लिये ई-बटुआ का उपयोग किया जा सकता है। अधिकतर बैंकों और कुछ निजी कंपनियों के ई-बटुए हैं। इन्हें आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-बटुआ अर्थात डिजिटल बटुए में पैसे डालने के लिये किसी व्यक्ति के खाते को उससे लिंक कराना जरूरी है।

ऐसे करें ई-बटुए का उपयोग

इसका उपयोग करने के लिये उपभोक्ता- व्यापारी को स्मार्ट फोन पर एप डाउनलोड करना होता है। इसके बाद मोबाइल का उपयोग कर साइन अप किया जाता है। फिर डैबिट, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए ई-बटुए में पैसा डाला जाता है। इस प्रकार भुगतान के लिये ई-बटुआ तैयार हो जाता है। उपभोक्ता बटुए की सीमा सभी के लिये 20 हजार रूपए प्रतिमाह होती है और केवाईसी के साथ यह सीमा एक लाख रूपए तक हो सकती है। इसी तरह व्यापारी बटुए की सीमा 100 घोषणा के साथ 50 हजार रूपए प्रतिमाह और केवाईसी के साथ एक लाख रूपए प्रतिमाह होती है।

ग्रीनकार्ड-धारकों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट बंद

साक्षात्कार में भी 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक का लाभ नहीं मिलेगा

भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग के 16दिसम्बर परिपत्र के अनुसार ग्रीनकार्ड-धारियों को प्रदत्त आयु सीमा में दो वर्ष की छूट और साक्षात्कार में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक की सुविधा तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है। आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में होने वाले विज्ञापनों में ग्रीनकार्ड-धारकों को देय यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त की गयी है। राज्य सेवा परीक्षा-2017 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा-2017 के जारी विज्ञापनों में आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी-2017 तथा राज्य प्रौद्योगिकी परीक्षा- 2016 के जारी विज्ञापनों में आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी-2017 है, इन विज्ञापनों में शासन के प्रावधानों को लागू करते हुए दो वर्ष की देय आयु सीमा में छूट एवं साक्षात्कार में 5 प्रतिशत देय अंकों का प्रावधान समाप्त किया जाता है। पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत एवं अन्य सीधे साक्षात्कार के माध्यम से चयन की रिक्तियों के लिये, जिनमें साक्षात्कार आयोजित होना है, ऐसे जारी सभी विज्ञापनों में ग्रीनकार्ड-धारकों को साक्षात्कार में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने की सुविधा भी समाप्त की जाती है।

छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना निमाड़ क्षेत्र के लिए वरदान

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 536.99 करोड़ रूपये लागत की उदवहन सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छैगाँवमाखन उदवहन सिंचाई परियोजना निमाड़ क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। श्री चौहान खण्डवा के छैगाँवमाखन में 536करोड़ 99 लाख रूपये लागत की उदवहन सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नई तकनीक से तैयार की गई है। इसमें नहरों के स्थान पर पाईप लाईन के माध्यम से खेत-खेत तक पानी पहुँचेगा और निमाड़ क्षेत्र के किसानों के जीवन में खुशहाली आयेगी। उन्होंने सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के अनुरोध पर घोषणा की कि छैगाँवमाखन क्षेत्र के जो गाँव इस योजना में अभी शामिल नहीं हो पाये हैं उन्हें भी शीघ्र ही शामिल किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निमाड़ क्षेत्र के 5 लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के लिए योजना के साथ सिहाड़ा-जावर उदवहन सिंचाई परियोजना, भीकनगाँव-एदलवाड़ा उदवहन सिंचाई परियोजना भी स्वीकृत की गई है। इससे इस क्षेत्र के किसानों की दशा ही बदल जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने तथा किसानों के कल्याण के लिए दिन-रात प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से कृषि ऋण पर ब्याज की दर 18प्रतिशत से कम करते हुए शून्य प्रतिशत तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि माँ नर्मदा का जल उनके खेतों तक आने से किसानों के जीवन में खुशहाली आयेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का भी दायित्व है कि माँ नर्मदा को प्रदूषित न करें तथा नर्मदा तट पर अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाये जायें ताकि नर्मदा नदी में हर समय भरपूर पानी उपलब्ध रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपस्थित ग्रामीणों को अपने घरो में शौचालय बनवाने, नशा नहीं करने, बेटियों को शिक्षित करने तथा बेटा-बेटियों में भेद न करने का संकल्प भी दिलवाया। उन्होंने कहा कि नर्मदा तट पर स्थित शहरों में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शहरों का गंदा पानी नर्मदा नदी में मिलने से रोकने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने अपील की कि अगले माह खण्डवा जिले में आने वाली नर्मदा सेवा यात्रा का गाँव-गाँव में ऐतिहासिक स्वागत किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में सुधार करते हुए प्राकृतिक आपदा से फसल हानि होने पर पहले से कई गुना अधिक राहत किसानों को दी जाने लगी है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना में खण्डवा जिले के किसानों को 171 करोड़ रूपये की मदद स्वीकृत हुई है, जो शीघ्र ही किसानों के खातों में जमा की जा रही है। नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मध्यप्रदेश की स्थापना के 50 वर्ष बाद तक प्रदेश में जितने विकास कार्य नहीं हुए थे उससे अधिक विकास कार्य गत 10 वर्ष में मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में सिंचाई पाईप लाईन के माध्यम से की जायेगी। इस तरह नर्मदा के पानी की एक-एक बूँद सिंचाई के काम आ सकेगी तथा भू-अर्जन भी कम से कम करना पड़ेगा। परियोजना को कुल 36माह में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

प्राकृतिक प्रकोप पीड़ितों की राहत राशि में चार गुना वृद्धि

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा पिछले ग्यारह वर्ष में प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित किसानों और अन्य व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत राशि चार गुना तक बढ़ा दी गयी है। वर्ष 2005-06 में जहाँ 166 करोड़ 88लाख 58हजार रुपये की राहत राशि वितरित की गयी वहीं वर्ष 2015-16 में 4436 करोड़ 85 लाख 92 हजार रुपये की राहत राशि वितरित की गयी।

प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर वर्ष 1994 में 10 हजार, वर्ष 2006में एक लाख और वर्ष 2015 में 4 लाख रुपये मिल रहे हैं। पानी में डूबने से मृत्यु पर 2006में कोई प्रावधान नहीं था। अभी एक लाख रुपये दिये जाते हैं। हॉल ही में लिये गये निर्णय अनुसार अब पानी में डूबने अथवा नाव दुर्घटना होने से मृतक के परिजन को 4 लाख रूपये तक की सहायता दी जायेगी। सर्प/गुहेरा या जहरीले जंतु के काटने से अथवा बस या अन्य अधिकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्डे में गिरने से इन वाहन पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिजन को दी जाने वाली सहायता 50 हजार से बढ़ाकर 4 लाख रूपये तक कर दी गयी है।

पक्का मकान पूरा नष्ट होने पर पहले 2500 रुपये और अब 95 हजार 100, झुग्गी नष्ट होने पर 6000 और पान के बरेजे नष्ट होने पर पहले 300 से 12000 रुपये और अब 500 से 30,000 रुपये तक दिये जाते हैं। प्राकृतिक प्रकोप से निजी कुएँ या नलकूप आदि की टूट-फूट या धँस जाने पर उसके मालिक को हानि के आकलन के आधार पर 6000 के स्थान पर अब 25 हजार रुपये तक की सहायता दी जायेगी। आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर 4000 के स्थान पर अब 10 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। कुम्हारों के ईंट भट्टों एवं मिट्टी के बर्तनों को प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता अब 3000 के स्थान पर 10 हजार रुपये तक की दी जायेगी। राहत राशि में वृद्धि के अनुरूप राजस्व विभाग का बजट भी बढ़ा है। वर्ष 2005-06में कुल बजट प्रावधान 577 करोड़ का था जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 3828.97 करोड़ का हो गया है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अगले वर्ष से वन मेले की अवधि बढ़ेगी

डॉ. शेजवार ने कहा आयुर्वेद चिकित्सकों के लिये राज्य शासन ने सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्ति का आदेश देकर एक बहुत बड़ा अवसर मुहैया करवाया है, जिसके माध्यम से वे आयुर्वेद को आगे बढ़ा सकते हैं।

वन मंत्री ने कहा कि संघ प्रयास करेगा मेले में अगले वर्ष से ऐसे भोजनालय भी आयें, जो आगंतुकों को खाने में उनके लिये कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, क्या खाना है आदि भी बतायें। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिये अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मेले में आगामी वर्ष से हर्बल कैफेटेरिया भी हो। साल दर साल मेला उन्नति की ओर बढ़ रहा है। संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी ने कहा कि मेले में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में करीब एक करोड़ के अनुबंध हुए और निशुल्क ओपीडी में हजारों लोगों ने चिकित्सा परामर्श का लाभ लिया। अपर मुख्य सचिव श्री दीपक खाण्डेकर ने कहा कि गुणवत्ता में विंध्य हर्बल ने जिस तरह से अपना नाम स्थापित किया है, वैसे ही मार्केटिंग भी बढ़ाये। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अनिमेष शुक्ला ने कहा कि विंध्य हर्बल में लगभग 200 जड़ी-बूटी से हर्बल उत्पाद बनते हैं, जिनकी कीमत भी कम है। प्रबंध संचालक श्री जव्वाद हसन ने मेले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से वैद्यों के ज्ञान का अभिलेखन किया जायेगा।

वन मंत्री ने **औषधीय पौधे एवं उनके उत्पाद** स्मारिका का भी विमोचन किया। डॉ. शेजवार ने मेले के दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। प्रदर्शनी समूह में एमएफपी बरखेड़ा पठानी को प्रथम, मध्यप्रदेश जैव-विविधता बोर्ड को द्वितीय और उद्यानिकी मिशन को तृतीय स्थान मिला। निजी स्टॉल समूह में माया इण्डस्ट्रीज प्रतापगढ़ प्रथम, रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय द्वितीय और हिमांशु अग्रवाल तृतीय रहे। शासकीय स्टॉल समूह में जिला सहकारी यूनियन सतना प्रथम, सीहोर द्वितीय और हरदा तृतीय रहे। विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत होने वाले विजेता हैं तान्या शर्मा, आशुतोष चौधरी, दिव्यांश सिंह, सुरभि अयंगर, चिराग आहूजा, सत्यम चतुर्वेदी, कृष खत्री, माहिरा शफकत, उपासना परिहार, अनयन, आरिषा मेश्राम, पलक बैस, अंतरिक्ष सेठिया, आदित्य जैन, हिमांशु गौर, प्रिया खींची, गुंजा राठी, अलजारा हनीफ, सुप्रिया गौर और प्रतिभा सिंह। श्री आर.आर. ओखण्डियार ने आभार प्रकट किया।

देश के तेजी से विकास के लिए कैशलेस सोसायटी का होना जरूरी

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने बड़झिरी में प्रदेश के पहले डिजिटल ग्राम की घोषणा

भोपाल। वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि देश में तेजी से विकास के लिए कैशलेस सोसायटी का होना जरूरी है। उन्होंने इस व्यवस्था को देश की दूसरी आजादी की लड़ाई बताया। वित्त मंत्री श्री मलैया भोपाल जिले के बड़झिरी में पहलेडिजिटल ग्राम का लोकार्पण कर रहे थे। बड़झिरी प्रदेश का पहला डिजिटल ग्राम है, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से डिजिटल ग्राम बनाया गया है। इस मौके पर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा भी मौजूद थे।

वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि बड़झिरी के लोगों को डिजिटल ग्राम से न केवल बैंकिंग सेक्टर में फायदा मिलेगा बल्कि इस तकनीक का फायदा ग्रामीणों को खेती-किसानी में भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लेकर देश की अर्थ-व्यवस्था से काला धन साफ किया है। इस निर्णय से आमजन को कुछ समय तकलीफ होगी लेकिन आने वाले समय में सरकार के पास कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये पैसों की कमी नहीं होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिये बगैर ब्याज पर ऋण दिया जायेगा। इसके लिये 1000 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया गया है।

वित्त मंत्री श्री मलैया ने ग्रामीणों को स्मार्ट फोन और ग्राम पंचायत के सरपंच को कम्प्यूटर भेंट किया। विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने इस मौके पर कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल ग्राम बनाकर बड़ी पहल की है। इसका असर इस क्षेत्र के आसपास के ग्रामों पर भी पड़ेगा। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों से कहा कि वे कार्पोरेट-सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) में बड़झिरी में सुन्दर पार्क बनायें। इस पार्क के बनने से डिजिटल ग्राम की प्रेरणा अन्य गाँवों को भी मिलेगी।

वित्त मंत्री ने पीओएस से खरीदा चावल

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने डिजिटल ग्राम की घोषणा के बाद पॉइन्ट ऑफ सेल मशीन से कार्ड स्वाइप कर नजदीक के किराना स्टोर से चावल खरीदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री राजेन्द्र कुमार ने बताया कि बड़झिरी को डिजिटल ग्राम बनाने का फैसला अक्टूबर माह में लिया गया था। आज यह गाँव पूरी तरह से डिजिटल और कैशलेस बन गया है। उन्होंने बताया कि इंदौर और जबलपुर अंचल में भी चयनित गाँव को शत-प्रतिशत डिजिटल बनाया जा रहा है।

डिजिटल ग्राम में किये गये कार्य

बड़झिरी के 2000 ग्रामीणों के खाते खोले गये और डेबिट कार्ड जारी किये गये। गाँव की सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पीओएस मशीन लगाई गई। गाँव में एक्सप्रेस लाबी की स्थापना की गई, जिसमें एटीएम, पास-बुक प्रिंटर, कैश डिपाजिट मशीन लगाई गई। बड़झिरी गाँव को इन्टरनेट और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। गाँव में ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है। ग्रामीणों को बैंकऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। किसानों को स्मार्ट फोन खरीदने के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवा रहा है। ग्रामीणों को कम्प्यूटर साक्षरता देने के लिये चौपालों पर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के डेढ़ सौ से अधिक गाँव जलवायु स्मार्ट ग्राम बनेंगे

भोपाल। जलवायु परिवर्तन का किसान और खेती पर प्रभाव पर चिंतन के लिये भोपाल में दो-दिवसीय कार्यशाला की गयी, जिसमें करीब 150 से 200 गाँव को **जलवायु स्मार्ट ग्राम** बनाने के लिये कार्य-योजना बनायी गयी। आईटीसी मिशन सुनहरा कल और सीजीआईएआर द्वारा आयोजित कार्यशाला में पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. पात्रा, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के डॉ. सिक्का सहित मध्यप्रदेश के 6जिले के 200 किसान, कृषि पर काम कर रहे अग्रणी स्वयंसेवी संस्थान, कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद थे। आईटीसी संस्था टिकाऊ खेती, मृदा, जल संरक्षण और आजीविका सृजन के कार्य में पिछले 12 वर्ष से मध्यप्रदेश के 10 जिलों में कार्य कर रही है।

प्रदेश में प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मिलेगा आवास पट्टा

भोपाल। वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके साथ ही वर्ष 2022 तक प्रत्येक आवासहीन को आवास दिलाया जायेगा। वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया शुक्रवार को दमोह जिले के ग्राम लक्ष्मणकुटी खजरी में जन-समस्या निवारण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिविर में 1250 हितग्राही को आवासीय पट्टे भी वितरित किये। श्री मलैया ने ग्राम लक्ष्मण कुटी में अगले शिक्षण सत्र से हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने की भी घोषणा की।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का सभी जिलों में होगा विस्तार

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस द्वारा रा%य-स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ

भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने आज प्रशासन अकादमी में **बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ** योजना को संपूर्ण प्रदेश में लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। भारत सरकार द्वारा कम लिंग अनुपात वाले जिलों में आरंभ की गई **बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ** योजना प्रदेश के छह जिलों क्रमश ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ और रीवा में क्रियान्वित है।

महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य तथा उनके समन्वित विकास के लिए योजना की उपयुक्तता को देखते हुए राज्य शासन ने यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। योजना का क्रियान्वयन महिला-बाल विकास विभाग के साथ स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से किया जायेगा।

प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत, आयुक्त आईसीडीएस श्रीमती पुष्पलता सिंह, यूएन वूमेन संस्था की श्रीमती अंजू पांडे तथा गर्ल्स काउंट संस्था के श्री रिजवान कार्यशाला में शामिल हुए।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा

डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।

2017 मध्यप्रदेश सहकारी समाचार 2017

Website : www.mpscu.nic.in ● E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

जनवरी पौष–माघ 1938 2017

रविवार	1 11	8 18	15 25	22 2	29 9
सोमवार	2 12	9 19	16 26	23 3	30 10
मंगलवार	3 13	10 20	17 27	24 4	31 11
बुधवार	4 14	11 21	18 28	25 5	
गुरुवार	5 15	12 22	19 29	26 6	
शुक्रवार	6 16	13 23	20 30	27 7	
शनिवार	7 17	14 24	21 1	28 8	

फरवरी माघ–फाल्गुन 1938 2017

रविवार		5 16	12 23	19 30	26 7
सोमवार		6 17	13 24	20 1	27 8
मंगलवार		7 18	14 25	21 2	28 9
बुधवार	1 12	8 19	15 26	22 3	
गुरुवार	2 13	9 20	16 27	23 4	
शुक्रवार	3 14	10* 21	17 28	24* 5	
शनिवार	4 15	11 22	18 29	25 6	

मार्च फाल्गुन–चैत्र 1938-39 2017

रविवार		5 14	12 21	19 28	26 5
सोमवार		6 15	13 22	20 29	27 6
मंगलवार		7 16	14 23	21 30	28 7
बुधवार	1 10	8 17	15 24	22 1	29* 8
गुरुवार	2 11	9 18	16 25	23 2	30 9
शुक्रवार	3 12	10 19	17 26	24 3	31 10
शनिवार	4 13	11 20	18 27	25 4	

अप्रैल चैत्र–वैशाख 1939 2017

रविवार	30 10	2 12	9 19	16 26	23 3
सोमवार		3 13	10 20	17 27	24 4
मंगलवार		4 14	11 21	18 28	25 5
बुधवार		5 15	12 22	19 29	26 6
गुरुवार		6 16	13 23	20 30	27 7
शुक्रवार		7 17	14 24	21 1	28 8
शनिवार	1† 11	8 18	15 25	22 2	29* 9

मई वैशाख–ज्येष्ठ 1939 2017

रविवार		7 17	14 24	21 31	28 7
सोमवार	1 11	8 18	15 25	22 1	29 8
मंगलवार	2 12	9 19	16 26	23 2	30 9
बुधवार	3 13	10 20	17 27	24 3	31 10
गुरुवार	4 14	11 21	18 28	25 4	
शुक्रवार	5 15	12 22	19 29	26 5	
शनिवार	6 16	13 23	20 30	27 6	

जून ज्येष्ठ–आषाढ़ 1939 2017

रविवार		4 14	11 21	18 28	25 4
सोमवार		5 15	12 22	19 29	26 5
मंगलवार		6 16	13 23	20 30	27 6
बुधवार		7 17	14 24	21 31	28 7
गुरुवार	1 11	8 18	15 25	22 1	29 8
शुक्रवार	2 12	9 19	16 26	23 2	30 9
शनिवार	3 13	10 20	17 27	24 3	

जुलाई आषाढ़–श्रावण 1939 2017

रविवार	30 8	2 11	9 18	16 25	23 1
सोमवार	31 9	3 12	10 19	17 26	24 2
मंगलवार		4 13	11 20	18 27	25 3
बुधवार		5 14	12 21	19 28	26 4
गुरुवार		6 15	13 22	20 29	27 5
शुक्रवार		7 16	14 23	21 30	28 6
शनिवार	1 10	8 17	15 24	22 31	29 7

अगस्त श्रावण–भाद्र 1939 2017

रविवार		6 15	13 22	20 29	27 5
सोमवार		7 16	14 23	21 30	28 6
मंगलवार	1 10	8 17	15 24	22 31	29 7
बुधवार	2 11	9 18	16 25	23 1	30 8
गुरुवार	3 12	10 19	17 26	24 2	31 9
शुक्रवार	4 13	11 20	18 27	25 3	
शनिवार	5 14	12 21	19 28	26 4	

सितम्बर भाद्र–आश्विन 1939 2017

रविवार		3 12	10 19	17 26	24 2
सोमवार		4 13	11 20	18 27	25 3
मंगलवार		5 14	12 21	19 28	26 4
बुधवार		6 15	13 22	20 29	27 5
गुरुवार		7 16	14 23	21 30	28 6
शुक्रवार	1 10	8 17	15 24	22 31	29 7
शनिवार	2 11	9 18	16 25	23 1	30 8

अक्टूबर आश्विन–कार्तिक 1939 2017

रविवार	1 9	8 16	15 23	22 30	29 7
सोमवार	2 10	9 17	16 24	23 1	30 8
मंगलवार	3 11	10 18	17 25	24 2	31 9
बुधवार	4 12	11 19	18 26	25 3	
गुरुवार	5* 13	12 20	19 27	26 4	
शुक्रवार	6 14	13 21	20 28	27 5	
शनिवार	7 15	14 22	21 29	28 6	

नवम्बर कार्तिक–अग्रहायण 1939 2017

रविवार		5 14	12 21	19 28	26 5
सोमवार		6 15	13 22	20 29	27 6
मंगलवार		7 16	14 23	21 30	28 7
बुधवार	1 10	8 17	15 24	22 1	29 8
गुरुवार	2 11	9 18	16 25	23 2	30 9
शुक्रवार	3 12	10 19	17 26	24 3	
शनिवार	4 13	11 20	18 27	25 4	

दिसम्बर अग्रहायण–पौष 1939 2017

रविवार	31 10	3 12	10 19	17 26	24 3
सोमवार		4 13	11 20	18 27	25 4
मंगलवार		5 14	12 21	19 28	26 5
बुधवार		6 15	13 22	20 29	27 6
गुरुवार		7 16	14 23	21 30	28 7
शुक्रवार	1 10	8 17	15 24	22 1	29 8
शनिवार	2 11	9 18	16 25	23 2	30 9

26 जनवरी - गणतंत्र दिवस, 10 फरवरी - *संत रविदास जयंती, 24 फरवरी - *महाशिवरात्रि, 13 मार्च - होली, 29 मार्च - *गुड़ी पड़वा/चैती चांद, 1 अप्रैल - †बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी 5 अप्रैल - रामनवमी, 9 अप्रैल - महावीर जयंती, 14 अप्रैल - डॉ. अम्बेडकर जयंती/वैशाखी/गुड फ्रायडे, 29 अप्रैल - *परशुराम जयंती, 10 मई - बुद्ध पूर्णिमा, 26 जून - ईद-उल-फितर, 7 अगस्त - रक्षाबंधन, 15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस/जन्माष्टमी, 2 सितम्बर - ईदुज्जुहा, 30 सितम्बर - दशहरा (विजयादशमी), 1 अक्टूबर - मोहर्रम, 2 अक्टूबर - गांधी जयंती, 5 अक्टूबर - *महर्षि वाल्मीकी जयंती, 19 अक्टूबर - दीपावली, 4 नवम्बर - गुरुनानक जयंती, 2 दिसम्बर - मिलाद-उन-नबी, 25 दिसम्बर - क्रिसमस

*कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिये यह छुट्टी नहीं है। †केवल कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिये यह छुट्टी है।